क़ीमत 5 रूपया

http://www.cgpi.org

आने वाले इंक़लाबी तूफ़ानों के लिये तैयारी करें!

मज़दूर एकता लहर

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी की केन्द्रीय कमेटी का अख़बार

ग्रंथ-36, अंक - 14 | जुलाई 16-31, 2022 | पाक्षिक अख़बार | कुल पृष्ठ-6

विश्वव्यापी खाद्य-संकट के लिए क्या और कौन ज़िम्मेदार है?

2022 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा खाद्य-संकट पर प्रकाशित हुई इस वैश्विक-रिपोर्ट (जी.आर.एफ.सी.) के अनुसार, 2021 में 53 देशों के लगभग 20 करोड़ लोगों को खाना भी नसीब नहीं हो पाया। वे भूखे मरने को मजबूर थे। पिछले साल की तुलना में, इन दर्दनाक हालतों से जूझने वालों की श्रेणी में लगभग 4 करोड़ लोग और शामिल हो गये हैं। इसका मतलब है कि पिछले साल दुनियाभर में भूखा रहने वाले लोगों की संख्या में 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।

सितंबर 2021 में वैश्विक खाद्य-क़ीमतें, उससे एक साल पहले की तुलना में, लगभग 33 प्रतिशत बढ़ गई। खाद्य और कृषि संगठन (एफ.ए.ओ.) के खाद्य-मूल्य सूचकांक के अनुसार, तब से अब तक खाद्य-क़ीमतों में 40 प्रतिशत की और बढ़ोतरी हुई है।

लगभग सभी देशों में ग़रीब और बेरोज़गार मज़दूरों का दैनिक भोजन उनकी पहुंच से बाहर हो गया है और कई ग़रीब देशों में बहुसंख्य आबादी के लिए दैनिक भोजन जुटाना उनकी हैसियत से बाहर हो गया है।

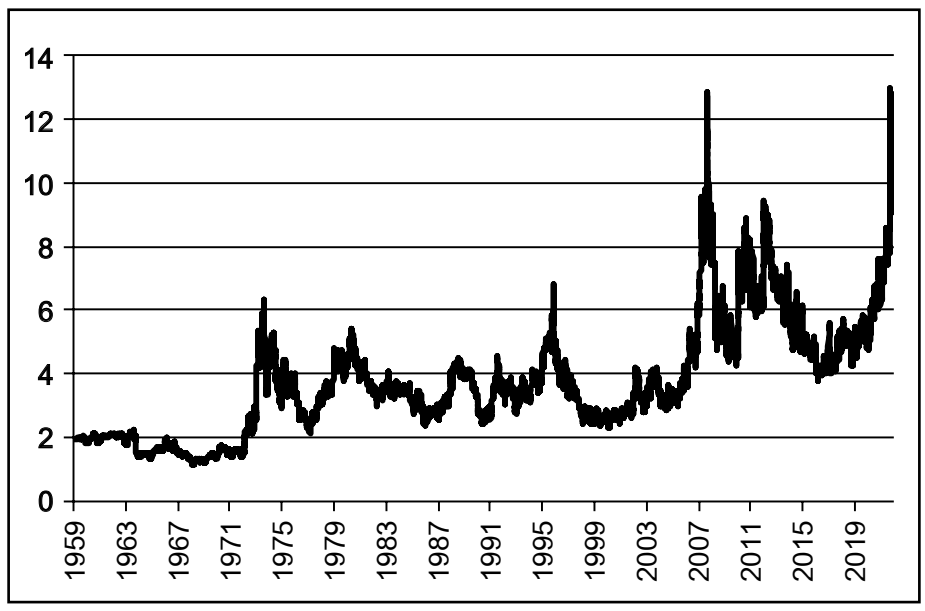

चित्र ए : गेहूं की अंतरराष्ट्रीय क़ीमतें (अमरीकी डॉलर प्रति बुशेल)

बढ़ती भुखमरी के मूलभूत कारण क्या हैं?

खाद्य-संकट के लिए ज़िम्मेदार बताये जा रहे कारण हैं – कोरोना वायरस के चलते लगाये गये लॉकडाउन, ग्लोबल वार्मिंग और यूक्रेन में चल रहा युद्ध। सबसे महत्वपूर्ण और अंतर्निहित कारण है – विशाल इजारेदार पूंजीवादी कंपनियों का खाद्य-आपूर्ति के तरीक़ों पर पूरा वर्चस्व और नियंत्रण। इस तथ्य को संयुक्त राष्ट्र संघ या अंतरराष्ट्रीय पूंजीपति वर्ग की अन्य संस्थाओं के किसी भी दस्तावेज़ में जानबूझकर उजागर नहीं किया गया है।

गेहूं का उदाहरण हमारे सामने है। गेहूं की अंतरराष्ट्रीय क़ीमत में तेज़ी से बढ़ोतरी 2020 में ही होनी शुरू हो गई थी (चित्र ए)। युद्ध शुरू होने से पहले ही, यूक्रेन और रूस से निर्यात होने वाले गेहूं के परिवहन में रुकावट पैदा होने लगी थी और गेहूं की क़ीमतें बढ़नी शुरू हो गयी थीं।

हालांकि 2021 में कुछ देशों में प्रतिकूल मौसम की हालतों के कारण गेहूं का उत्पादन प्रभावित हुआ था, लेकिन उस वर्ष आपूर्ति की गंभीर कमी नहीं हुई।

शेष पृष्ठ 2 पर

बिजली उत्पादन का निजीकरण – झूठे दावे और असली उद्देश्य

यह हिन्दोस्तान में बिजलीक्षेत्र में वर्ग संघर्ष पर लेखों की श्रृंखला में चौथा लेख है

1992 में स्वतंत्र बिजली उत्पादक (आई.पी.पी.) नीति की शुरुआत के साथ, बिजली का उत्पादन हिन्दोस्तानी और विदेशी पूंजीपतियों के लिए खोल दिया गया था। 1992 से पहले, बिजली का उत्पादन सार्वजनिक क्षेत्र में ही किया जाता था ।

हिन्दोस्तानी सरकार ने दावा किया था कि निजी क्षेत्र के प्रवेश से यह सुनिश्चित होगा कि बिजली की कोई कमी नहीं रहेगी। यह भी दावा किया गया था कि बिजली की आपूर्ति अधिक विश्वसनीय हो जाएगी और कम क़ीमत पर उपलब्ध होगी।

30 साल बाद न तो बिजली की कमी दूर हुई और न ही बिजली सस्ती हुई। पिछले 12 महीनों में दो बार, अक्टूबर 2021 में और अप्रैल-मई 2022, देश को बिजली की कमी के संकट का सामना करना पड़ा। अब भी किसानों को अपने सिंचाई के पंप चलाने के लिए रात में ही बिजली मिलती है।

अक्टूबर 2021 के संकट के दौरान बिजली को 20 रुपये प्रति यूनिट के उच्च दर पर खरीदा और बेचा गया था!

विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार, 25 वर्षों के बाद भी, 2017 में लगभग 20 करोड़ लोगों तक बिजली नहीं पहुंची थी। 2018 की ग्लोबल कोम्पेटिटिवनेस रिपोर्ट के अनुसार, बिजली की आपूर्ति की विश्वसनीयता में हिन्दोस्तान 137 देशों में से 80वें स्थान पर था।

हिन्दोस्तानी इजारेदार पूंजीवादी समूह आई.पी.पी. नीति के सबसे बड़े लाभार्थी रहे हैं। टाटा, अडानी, अनिल अंबानी, जिंदल, गोयंका, टोरेंट और कुछ अन्य समूहों के स्वामित्व और नियंत्रण वाली निजी कंपनियों के पास आज देश की बिजली उत्पादन क्षमता का लगभग आधा हिस्सा है।

ये इजारेदार समूह अब राज्य के स्वामित्व वाले कुशल बिजली उत्पादन संयंत्रों पर नज़र डाल रहे हैं। लेकिन, सार्वजनिक उत्पादन संयंत्रों के निजीकरण के कार्यक्रम को बिजली क्षेत्र के मजदूरों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ रहा है।

महाराष्ट्र सरकार ने जब पनबिजली संयंत्रों का संचालन निजी कंपनियों को सौंपना चाहा तो बिजली कर्मचारियों और इंजीनियरों ने एकजुट होकर इसका विरोध किया। चूंकि पनबिजली संयंत्र बिजली का सबसे सस्ता स्रोत हैं, इसलिए उनके निजीकरण से सरकारी वितरण कंपनी (डिस्कॉम) और महाराष्ट्र के लोगों, दोनों को नुकसान होगा। आंध्र प्रदेश के बिजली मजदूरों द्वारा इसी तरह का संघर्ष तब छेड़ा गया था जब राज्य सरकार ने श्री दामोदरम संजीवैया थर्मल पावर स्टेशन को दीर्घकाल के लिए निजी कंपनी को सौंपने का प्रस्ताव किया था।

जब बिजली उत्पादन को लाइसेंस मुक्त कर दिया गया, तो पूंजीपति बिजली परियोजनाओं को स्थापित करने के लिए दौड़े, क्योंकि उन्हें दीर्घकालिक बिजली खरीद समझौतों (पी.पी.ए.) द्वारा लाभदायक बिक्री का आश्वासन दिया गया था। 1992 में इस नीति की घोषणा के दो साल के भीतर, पूंजीपतियों द्वारा बिजली परियोजनाओं के लिए 138 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए थे। इन परियोजनाओं की क्षमता देश की पूरी स्थापित बिजली क्षमता से अधिक थी!

बिजली की एक निश्चित मात्रा की खरीद के लिए 25 साल तक की लंबी

शेष पृष्ठ 2 पर

बिजली (संशोधन) विधेयक 2022 के विरोध में राष्ट्रव्यापी आन्दोलन का ऐलान

ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन ने केंद्रीय विद्युत मंत्री को पत्र लिखकर यह मांग की है कि केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में जारी किए गए बिजली (संशोधन) विधेयक 2022 के मसौदे पर, बिजली उपभोक्ताओं और बिजली कर्मियों से विस्तृत बात किए बिना, इस बिल को संसद के मानसून सत्र में पेश न किया जाये। इसके साथ-साथ, उन्होंने सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को भी पत्र भेजकर यह अपील की है कि बिजली उपभोक्ताओं और बिजली कर्मियों के लिए दूरगामी दुष्परिणाम लाने वाले इस संशोधन विधेयक को संसद में पारित होने से रोकने के लिए वे प्रभावी कदम उठाएं। इस बिल के विरोध में राष्ट्रव्यापी आन्दोलन का ऐलान करते हुए, दिल्ली में आगामी 20 जुलाई को नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रीसिटी इम्प्लॉइज एंड इंजीनियर्स की बैठक होने वाली है।

इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2022 को सम्पूर्ण बिजली वितरण के निजीकरण का मसौदा बताते हुए, ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन ने ऐलान किया है कि बिजली कर्मी इसका पुरजोर विरोध करेंगे।

अंदर पढ़ें

- हिन्दोस्तान में बिजली आपूर्ति का ऐतिहासिक विकास 3
- नाटो शिखर सम्मेलन के ख़िलाफ़ बड़े पैमाने पर विरोध 4
- नाटो :एक विस्तारवादी जंग-भड़काऊ एजेंडे की घोषणा 5
- फ्रांस में रेल कर्मचारी अधिक वेतन को लेकर हड़ताल पर 5

विश्वव्यापी खाद्य-संकट के लिए क्या और कौन ज़िम्मेदार है?

पृष्ठ 1 का शेष

फिर भी गेहूं की क़ीमतें तेज़ी से बढ़ती रहीं। इस अजीब पहेली की कुंजी दुनिया की इजारेदार पूंजीवादी कंपनियों की मुनाफ़ाखोरी की गतिविधियों में निहित है, जो खाद्य बाज़ार पर हावी हैं।

हर बार, जब किसी भी कारण, ख़राब मौसम के झटके के कारण या महामारी के कारण या युद्ध की वजह से आपूर्ति में बाधा के कारण, खाद्य फ़सल की क़ीमत बढ़ती है, तब निजी कंपनियां इसका फ़ायदा उठाकर, अपने मुनाफ़े को अधिकतम करने के लिए जमाखोरी करके उस कमी को और भी बढ़ा देती हैं।

पिछले तीन से चार दशकों में, वैश्विक–खाद्य बाज़ार में केवल कुछ मुट्ठीभर बहु–अरब डॉलर वाली कंपनियां हावी हो गई हैं।

1990 के दशक में, संयुक्त राज्य अमरीका में खाद्य आपूर्ति सहित खुदरा–व्यापार में संकेंद्रीकरण और इजारेदारी की हद, एक अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गई थी। मज़दूर वर्ग के परिवारों द्वारा नियमित रूप से ख़रीदी जाने वाली लगभग सभी किराने की वस्तुओं के बाज़ार पर, मुट्ठीभर शक्तिशाली इजारेदार कंपनियों ने अपना नियंत्रण हासिल कर लिया था। वॉलमार्ट जैसी खुदरा व्यापार की विशाल कंपनियों ने अपनी मनमानी से, किसी भी आपूर्तिकर्ता से सामान ख़रीदने की क़ीमतों को तय करना शुरू कर दिया। खुदरा व्यापार की इन विशाल कंपनियों की हैसियत, शक्ति और मुनाफ़े का अभूतपूर्व विस्तार 1980 और 1990 के दशकों में हुआ। उन्होंने विश्व स्तर पर अपनी ताक़त का विस्तार किया, उन्होंने विभिन्न देशों में अपनी खुद की आपूर्ति–श्रृंखला की स्थापना की। यूरोपीय देशों की बड़ी इजारेदार, कृषि–व्यवसाय से जुड़ी कंपनियां और खुदरा व्यापार की विशाल कंपनियां भी विश्व खाद्य स्टॉक और बिक्री पर, अपना नियंत्रण हासिल करने की इजारेदार कंपनियों की होड़ में शामिल हो गईं।

1995 में कृषि के विषय को विश्व व्यापार संगठन की वार्ता में शामिल किया गया था। एक "मुक्त बाज़ार" को बढ़ावा देने की आड़ में, अमरीकी नेतृत्व वाले साम्राज्यवादी राज्यों के गुट ने अन्य सभी सदस्य राज्यों के लिए नियम निर्धारित किए। उन्होंने किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी की राशि की एक सीमा की घोषणा की (हालांकि इस सीमा का अमरीका ने खुद खुलेआम उल्लंघन किया)। खाद्य पदार्थों पर आयात शुल्क की दर पर भी एक सीमा लगाई गई थी। यहां तक कि विश्व व्यापार संगठन ने सदस्य राज्यों की सरकारों द्वारा रखे जा रहे खाद्य भंडार की मात्रा पर भी प्रतिबंध लगा दिया।

विश्व के अधिकांश देशों के लोगों के भारी विरोध के बावजूद, विश्व व्यापार संगठन और दुनियाभर की अधिकांश सरकारों ने कृषि व्यापार–उदारीकरण के एजेंडे को लागू किया। इसके चलते, विशाल इजारेदार पूंजीवादी निगमों के विस्तार का मार्ग खुल गया, न केवल बीज, कीटनाशकों और कृषि से जुड़ी अन्य लागत की वस्तुओं की आपूर्ति में, बल्कि विश्व स्तर पर खाद्य और पैकेज्ड खाद्य उत्पादों की ख़रीद, भंडारण और बिक्री में भी इन इजारेदार पूंजीवादी कंपनियों का वर्चस्व क़ायम किया गया।

कृषि व्यापार के उदारीकरण ने सट्टा–मुनाफ़ाखोरी या कृषि व्यापार में ज्यादा से ज्यादा मुनाफ़े बनाने के लिए सट्टा बाज़ारी करने की संभावनाओं का भी विस्तार किया है। अंतरराष्ट्रीय उपयोगी–वस्तुओं के बाज़ारों, हाजिर बाज़ार (स्पॉट मार्किट) और वायदा–बाज़ार दोनों में, अनाज, तिलहन और चीनी की सट्टा बाज़ारी, सट्टा–मुनाफ़ा कमाने के लिए किया जाता है। इस तरह के सट्टा–मुनाफ़ा कमाने के लिए इन इजारेदार कंपनियों को सभी उपाय मुहैया कराये जाने की वजह से, खाद्य–वस्तुओं की क़ीमतों में उतार–चढ़ाव और भी बढ़ रहा है।

जहां करोड़ों लोग भूख से मर रहे हैं, वहीं बड़ी इजारेदार पूंजीवादी कंपनियां और वित्तीय सट्टेबाजों की संस्थाएं भारी मुनाफ़ा कमा रही हैं। यूक्रेन में युद्ध के बहाने, उर्वरक, बीज और रसायनों की क़ीमतों की वृद्धि को जायज़ ठहराया गया है। अंतर्राष्ट्रीय तेल कंपनियों ने, रूसी तेल पर अमरीकी और नाटो प्रतिबंधों का इस्तेमाल करके, तेल की क़ीमतों में भारी बढ़ोतरी को सही ठहराया है, भले ही रूसी तेल का निर्यात जारी है।

हिन्दोस्तान में भुखमरी

हिन्दोस्तान उन देशों में से एक है जहां सबसे ज्यादा भूखे और कुपोषित लोग रहते हैं।

अधिकांश हिन्दोस्तानी एक स्वस्थ इंसान के लायक पर्याप्त भोजन जुटा पाने का खर्च नहीं उठा सकते हैं। हर साल लाखों लोग सीधे तौर पर अपोषित–भोजन से जुड़ी बीमारियों के कारण मर जाते हैं। "स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2022 : इन फिगर्स" (सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा प्रकाशित एक सांख्यिकीय संग्रह) की रिपोर्ट के अनुसार, 71 प्रतिशत हिन्दोस्तानी एक स्वस्थ इंसान के लायक पर्याप्त भोजन जुटा पाने का खर्च नहीं उठा सकते हैं। पूरे विश्व की भुखमरी से त्रस्त जनसंख्या के 42 प्रतिशत के आंकड़े से यह बहुत अधिक है।

उपयुक्त आहार के आम लोगों की पहुंच से बाहर होने की हक़ीक़त के लिए, हाल के वर्षों में अभूतपूर्व खाद्य–मूल्य–मुद्रास्फीति को मुख्य रूप से ज़िम्मेदार ठहराया जा सकता है। पिछले एक साल में अनाज, खाद्य तेल, सब्जियां, मांस और अंडे की क़ीमतें आसमान छू गई हैं। ग्रामीण और शहरी, दोनों क्षेत्रों में अधिक से अधिक लोग आवश्यक पोषण हासिल करने में असमर्थ हैं।

पिछले तीन दशकों में, सरकारों ने लगातार, अंदरूनी और विदेश व्यापार के उदारीकरण के कार्यक्रम को लागू किया है। यह हिन्दोस्तानी और विदेशी इजारेदार पूंजीपतियों का एजेंडा है, जो हिन्दोस्तानी कृषि और खाद्य भंडार में अपनी और अधिक पैठ और नियंत्रण हासिल करने के लिए बेहद उत्सुक हैं।

1960 और 1970 के दशक में निर्मित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी.एस.), कम से कम उन लोगों के लिए जो भूख से पीड़ित थे, खाद्यान्न की अधिकांश आवश्यकता को पूरा करती थी। उदारीकरण के एजेंडा के लागू होने के बाद, पी.डी.एस. को जानबूझकर उपेक्षित और बर्बाद कर दिया गया है। ग़रीब लोगों को अपने हाल पर छोड़ दिया गया है, उनमें से अनेकों को भुखमरी और कम आयु में मृत्यु की ओर धकेला जा रहा है।

निष्कर्ष

इस 21वीं सदी में विश्व में खाद्य संकट को रोकने में मानव समाज के असमर्थ होने का मुख्य कारण यह है कि इजारेदार पूंजीपति, जो भोजन को अपने अधिकतम मुनाफ़े बनाने का स्रोत मानते हैं, उन्होंने इसके भंडारण और वितरण पर अपना नियंत्रण हासिल कर लिया है। इजारेदार पूंजीपति, मज़दूरों के अत्यधिक शोषण, किसानों और अन्य छोटे उत्पादकों की लूट, प्राकृतिक संसाधनों की लूट और उपभोक्ता ऋण, निजी बीमा और अन्य माध्यमों से सभी मेहनतकश लोगों की जबरन वसूली के ज़रिये, भारी मुनाफ़ा कमाते हैं। वे खाद्य पदार्थों की हर अस्थायी कमी का फ़ायदा उठाते हैं ताकि इस कमी को एक विश्व–संकट में बदल दिया जा सके और उनके मुनाफ़ों में अत्यधिक वृद्धि हो सके ।

पूंजीवादी–साम्राज्यवादी व्यवस्था को ख़त्म करके ही, भूख और भुखमरी को ख़त्म किया जा सकता है। हमारे देश में हिन्दोस्तानी और विदेशी इजारेदार पूंजीपतियों के आधिपत्य और नियंत्रण की बजाय, खाद्य–पदार्थों की ख़रीद, भंडारण और वितरण पर देश के मज़दूरों और किसानों का नियंत्रण होना चाहिए। हम जो मेहनत करते हैं और समाज की सारी दौलत पैदा करते हैं, हमें हिन्दोस्तान के भविष्य को अपने हाथों में लेने की सख़्त ज़रूरत है। हमें अपने देश को अंतरराष्ट्रीय साम्राज्यवादी व्यवस्था से बाहर निकालने की ज़रूरत है और उसे सही मायने में आत्मनिर्भर, समाजवादी अर्थव्यवस्था के निर्माण के रास्ते पर ले जाने की सख़्त ज़रूरत है। तभी हम भूख और कुपोषण से स्थायी रूप से मुक्त हो सकते हैं।

http://hindi.cgpi.org/22349

बिजली उत्पादन का निजीकरण – झूठे दावे और वास्तविक उद्देश्य

पृष्ठ 1 का शेष

अवधि के लिए पी.पी.ए. करार किये गए थे। इसके लिए राज्य बिजली बोर्डों को अगले 25 वर्षों में बिजली की मांग का अनुमान लगाने की आवश्यकता थी। पी.पी.ए. को सही ठहराने के लिए, मांग का अनुमान अक्सर अधिक लगाया गया। कई राज्यों में, अनुबंधित क्षमता उच्चतम मांग से 30 प्रतिशत अधिक है। उदाहरण के लिए, महाराष्ट्र में 37,896 मेगावाट की आपूर्ति के लिए पी.पी.ए. थे, जब इसकी अधिकतम मांग केवल 22,516 मेगावाट थी। इसी तरह, तमिलनाडु में अधिकतम मांग केवल 14,223 मेगावाट थी, लेकिन विद्युत बोर्ड ने 26,975 मेगावाट के लिए पी.पी.ए. पर हस्ताक्षर किए थे।

2017–18 तक, देश में लगभग 3,34,000 मेगावाट स्थापित क्षमता थी, जिसमें से 2,91,000 दीर्घकालिक पी.पी.ए. के तहत थी। उस वर्ष में अधिकतम मांग केवल 1,64,000 मेगावाट थी।

केंद्र सरकार ने विद्युत विनियामक आयोगों को "लागत प्लस मुनाफ़ा" के आधार पर "लाभकारी" बिजली शुल्क तय करने की सलाह दी है। शुल्क निर्धारण के लिए गारंटीकृत मुनाफ़े की दर वर्तमान में ताप विद्युत के लिए 15.5 प्रतिशत और पवन और सौर ऊर्जा आधारित संयंत्रों के लिए 16 प्रतिशत है। यह इक्विटी पर टैक्स के बाद का रिटर्न है। हिन्दोस्तानी उद्योगों के औसत मुनाफ़े की दर की तुलना में, निजी बिजली उत्पादकों के लिए गारंटीकृत मुनाफ़े की दर बहुत अधिक है। सरकार का दावा है कि बिजली उत्पादन में निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए इस तरह की दर की पेशकश करना आवश्यक है।

पी.पी.ए. में आम तौर पर एक प्रावधान होता है कि अगर कोई बिजली नहीं भी ली जाती है, तब भी उत्पादक को न्यूनतम शुल्क का भुगतान करना पड़ता है। इसलिए, एक निजी उत्पादक बिना किसी बिजली को बेचकर भी कमाता है जबकि राज्य बिजली बोर्ड उन्हें बिना किसी बिजली का उपयोग किये, भुगतान करते हैं। यह पी.पी.ए. की एक आवश्यक शर्त है।

इसका एक उदाहरण मध्य प्रदेश का है, जिसकी वितरण कंपनियों ने 2016–17 से 2020–21 की अवधि में निजी उत्पादन कंपनियों से कोई भी बिजली की आपूर्ति किये बिना, उन्हें "निष्क्रिय क्षमता शुल्क" के रूप में 12,834 करोड़ रुपये का भुगतान किया है।

इस प्रकार, पी.पी.ए. ने यह सुनिश्चित किया है कि इजारेदार पूंजीपतियों की निजी कंपनियां मुनाफ़ा कमाती रहें, जबकि सरकारी कंपनियों का हाल बद से बदतर होता रहे।

हिन्दोस्तानी और विदेशी इजारेदार पूंजीपतियों की सरकार ने हद से ज्यादा मदद की है। पहले की कुछ परियोजनाओं में, केंद्र सरकार ने निजी बिजली कंपनी को राज्य बिजली बोर्ड द्वारा बकाया का भुगतान करने के लिए भी गारंटी दी थी।

1990 के दशक में पहली बड़ी निजी बिजली परियोजना एनरॉन नामक एक अमरीकी इजारेदार कंपनी द्वारा की गई थी। महाराष्ट्र में एनरॉन परियोजना ने निजीकरण कार्यक्रम के जन–विरोधी और समाज–विरोधी चरित्र को पूरी तरह से उजागर कर दिया।

बिजली कर्मचारियों और विभिन्न जनसंगठनों ने एनरॉन परियोजना का उस दिन से विरोध किया था, जिस दिन से यह प्रस्तावित किया गया था। चूंकि यह परियोजना आयातित पेट्रोलियम ईंधन पर आधारित थी, इसलिए उत्पादित बिजली की लागत उस समय की प्रचलित बिजली दर से कई गुना अधिक होने वाली थी। प्रस्तावित क्षमता राज्य की आवश्यकता से बहुत अधिक थी। इस परियोजना ने महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड (एम.एस.ई.बी.) को दिवालिया बना दिया। लोग पर्यावरण को क्षति और अपने बढ़ते बिजली बिलों के बारे में बहुत चिंतित थे।

जब 1999 में एनरॉन संयंत्र शुरू हुआ, तो एम.एस.ई.बी. को, एक इकाई के लिए 7.80 रुपये की उच्च कीमत पर, 2000 मेगावाट बिजली खरीदने के लिए मजबूर किया गया था, भले ही इसकी आवश्यकता नहीं थी। उपभोक्ताओं ने बिजली के लिए 11 रुपये प्रति यूनिट का भुगतान किया। बिजली कर्मचारियों और लोगों, दोनों ने अपना विरोध तेज़ कर दिया और राज्य सरकार को एनरॉन के साथ पी.पी.ए. को रद्द करने के लिए मजबूर किया। जाना

शेष पृष्ठ 3 पर

हिन्दोस्तान में बिजली आपूर्ति का ऐतिहासिक विकास 1947 से 1992

यह हिन्दोस्तान में बिजली पर वर्ग संघर्ष के लेखों की श्रृंखला में तीसरा लेख है

आज हमारे देश में बिजली के उत्पादन और वितरण के संबंध में आधिकारिक स्थिति, हिन्दोस्तानी सरकार द्वारा 1947 में घोषित की गई स्थिति के विपरीत है। उस समय यह घोषणा की गई थी कि राज्य को सभी को और पूरे देश में सस्ती दर पर बिजली प्रदान करने की पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। बिजली क्षेत्र के लिए इस नीति को पूरी तरह से पलट क्यों दिया गया है? इस प्रश्न का हल ढूंढने के लिए, हमारे देश में पूंजीपति वर्ग और पूंजीवादी व्यवस्था के विकास के संदर्भ में बिजली क्षेत्र के विकास के इतिहास का अध्ययन करना आवश्यक है।

जब हिन्दोस्तान 1947 में स्वतंत्र हुआ था, तो देश में केवल 1,362 मेगावाट की बिजली उत्पादन क्षमता थी। बिजली शक्ति का उत्पादन और वितरण मुख्य रूप से निजी कंपनियों द्वारा किया जाता था। बिजली केवल कुछ शहरी केंद्रों में उपलब्ध होती थी। ग्रामीण क्षेत्रों और गांवों में बिजली नहीं थी। बिजली ऊर्जा क्षेत्र के उत्पादन और वितरण में तेजी से वृद्धि करना अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में पूंजीवाद के विकास के लिए एक आवश्यकता थी।

1947 के बाद अपनाई गई बिजली क्षेत्र के लिए नीति, बॉम्बे प्लान नामक दस्तावेज़ के अनुरूप तैयार की गई थी, जिसे 1944–45 में टाटा, बिरला और अन्य बड़े औद्योगिक घरानों द्वारा तैयार किया गया था। उस समय, सबसे धनी हिन्दोस्तानी पूंजीपतियों के पास भी ऊर्जा, भारी उद्योग और औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक अन्य बुनियादी ढांचों में निवेश करने के लिए पर्याप्त पूंजी नहीं थी। उन्होंने प्रस्ताव किया कि केंद्र सरकार को बिजली के उत्पादन, पारेषण और वितरण सहित बुनियादी ढांचे की स्थापना के लिए सार्वजनिक धन का उपयोग करना चाहिए। बड़े पूंजीपति उपभोग की वस्तुओं के उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जहां पूंजी की आवश्यकता कम है और अपेक्षित लाभ उच्च और त्वरित हैं।

1948 का विद्युत अधिनियम बॉम्बे योजना की सिफारिशों पर आधारित था। हिन्दोस्तानी संघ के सभी राज्यों में राज्य विद्युत बोर्ड (एस.ई.बी.) का गठन किया गया था। उन्हें उस राज्य के क्षेत्र के भीतर बिजली की आपूर्ति के लिए जिम्मेदार बनाया गया था।

इसके अतिरिक्त, 1948 के अधिनियम ने निजी लाइसेंसधारियों को संबंधित राज्य सरकार/एस.ई.बी. द्वारा उन्हें नियुक्त किये गए क्षेत्रों में विद्युत वितरण और/अथवा उत्पादन करने की भी अनुमति दी थी। इसने यह सुनिश्चित किया कि टाटा समूह, जो मुंबई में बिजली का उत्पादन और वितरण कर रहा था और कोलकता में बिजली वितरित करने वाला गोयंका समूह, दोनों ही राज्य क्षेत्र के तहत बिजली का उत्पादन और वितरण करने वाली सरकारी कम्पनिओं के साथ–साथ, अपना संचालन जारी रख सकते हैं और बड़े हो सकते हैं।

1956 के औद्योगिक नीति संकल्प (इंडस्ट्रियल पालिसी रेसोल्यूशन) ने दोहराया कि बिजली का उत्पादन, पारेषण और वितरण लगभग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र में होगा। केंद्र सरकार के स्वामित्व वाली कंपनियों –– नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन (एन.टी.पी.सी.), नेशनल हाइड्रो–इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन (एन.एच.पी.सी.), नेशनल पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन (एन.पी.टी.सी.) और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन (पी.जी.सी.) द्वारा उत्पादन संयंत्रों और पारेषण लाइनों की स्थापना में बड़ी मात्रा में सार्वजनिक धन का निवेश किया गया था। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स (बी.एच.ई.एल.) की स्थापना बिजली उत्पादन उपकरणों के निर्माण के लिए की गई थी।

सरकारी कंपनियों पर निर्भरता की नीति तब तक जारी रही जब तक हिन्दोस्तानी इजारेदार पूंजीपतियों को इससे फायदा था। 1980 के दशक में, पश्चिमी साम्राज्यवादी राज्यों ने विश्व बैंक और आई.एम.एफ. के माध्यम से, हिन्दोस्तान पर आयात शुल्क को कम करने और विदेशी पूंजी निवेश पर प्रतिबंधों को कम करने के लिए जबरदस्त दबाव डाला था। टाटा, बिरला और अन्य औद्योगिक घरानों ने विदेशी प्रतिस्पर्धा को सीमित करके अपने घरेलू साम्राज्यों का निर्माण किया था। अब उन्होंने उन प्रतिबंधों को हटाने की आवश्यकता को पहचान लिया, ताकि वे भी वैश्विक स्तर पर दूसरे इजारेदार पूंजीपतियों के साथ स्पर्धा कर सकें। लेकिन, वे हिन्दोस्तानी बाज़ार को बहुत तेज़ी से खोलना नहीं चाहते थे। उन्होंने अर्थव्यवस्था को धीरे–धीरे विदेशी वस्तुओं और विदेशी पूंजी के लिए खोलने की नीति अपनाई।

1990 के दशक की शुरुआत, सोवियत संघ के विघटन के साथ–साथ, विश्व स्तर पर अचानक कई प्रमुख परिवर्तनों के साथ हुई। विश्व क्रांति की लहर ज्वार से भाटे में बदल गयी। हमारे देश में पूंजीवाद का विकास उस स्तर पर पहुंच गया था जब हिन्दोस्तानी इजारेदार पूंजीवादी घरानों ने देश में विदेशी पूंजीनिवेश को एक ऐसे कारक के रूप में देखना शुरू कर दिया था जो उनके स्वयं के वैश्विक विस्तार को तेज़ कर सकता था। हिन्दोस्तानी इजारेदार पूंजीपतियों के दृष्टिकोण में इस परिवर्तन की वजह से, उन्होंने 1991 में उदारीकरण और निजीकरण के जरिये वैश्वीकरण के कार्यक्रम को खुले तौर पर अपनाया। उन्होंने समाजवादी नमूने के समाज के निर्माण के सभी ढोंग को छोड़ दिया। उन्होंने साम्राज्यवादी मंत्र को दोहराया कि हर किसी को बाज़ार में खुद की देखभाल करनी चाहिए और राज्य की जिम्मेदारी है केवल एक अनुकूल निवेश वातावरण बनाना, जिसका अर्थ है कि किसी भी देश के पूंजीपतियों के लिए निवेश करने और अधिकतम मुनाफ़ा प्राप्त करने के लिए अनुकूल वातावरण बनाना।

अपने निजी साम्राज्यों के निर्माण के लिए सार्वजनिक क्षेत्र का उपयोग करने के बाद, इजारेदार पूंजीवादी घरानों ने फैसला किया कि अब समय आ गया है कि वे अपने निजी साम्राज्यों का विस्तार करने के लिए सार्वजनिक संपत्ति को कौड़ियों के दाम पर हड़प लें। विदेशी प्रतिस्पर्धा को सीमित करके अपने औद्योगिक आधार का निर्माण करने के बाद, उन्होंने फैसला किया कि अब उन प्रतिबंधों को हटाने का समय आ गया है, ताकि अब वे विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बन सकें ।

संक्षेप में, आज़ादी के बाद, हिन्दोस्तान में सरकारी नीतियों, कानूनों और नियमों की प्रेरक शक्ति हमेशा सबसे धनी इजारेदार पूंजीपतियों के हाथों में निजी मुनाफों को बढ़ाना रही है।

शुरुआती दशकों में, सरकारी कंपनियों को बनाने और विस्तारित करने की नीति ने औद्योगिकीकरण के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण करने का काम किया, ताकि औद्योगिक घराने उपभोग की विनिर्मित वस्तुओं के लिए बाज़ार पर हावी हो सकें और अधिकतम मुनाफ़े प्राप्त कर सकें। वर्तमान अवधि में, निजीकरण और उदारीकरण के जरिये वैश्वीकरण के एजेंडे के द्वारा, अधिकतम इजारेदार पूंजीवादी मुनाफ़े की हवस को पूरा किया जा रहा है।

इजारेदार पूंजीपतियों ने अपने हित के अनुसार, 1948 में बिजली के उत्पादन से वितरण तक, उसे राज्य की जिम्मेदारी में रखने की नीति लागू करवाई थी। और अब फिर इजारेदार पूंजीपतियों के हित में ही, 1991 के बाद से, निजीकरण के कार्यक्रम को निर्धारित किया जा रहा है। जब इजारेदार पूंजीपति आवश्यक निवेश का खर्च नहीं उठा सकते थे तो वे चाहते थे कि सार्वजनिक धन को बिजली क्षेत्र में निवेश किया जाए। अब, जब उन्होंने दुनिया के सबसे अमीर लोगों में गिने जाने के लिए पर्याप्त धन इकट्ठा कर लिया है, तो वे चाहते हैं कि सरकारी कंपनियों को उन्हें सौंप दिया जाए।

http://hindi.cgpi.org/22372

बिजली उत्पादन का निजीकरण – झूठे दावे और वास्तविक उद्देश्य

पृष्ठ 2 का शेष

जाता है कि एम.एस.ई.बी. को इस प्रक्रिया में 3,360 करोड़ रुपये का नुक़सान हुआ।

आंध्र प्रदेश सरकार ने 2019 में अनुमान लगाया था कि पिछले पांच वर्षों के दौरान हस्ताक्षर किए गए पी.पी.ए. के कारण उसे सालाना 2,200 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च करना पड़ रहा था। लेकिन, केंद्र सरकार ने कहा कि वह पी.पी.ए. की समीक्षा नहीं कर सकती है और उन पर फिर से बातचीत नहीं कर सकती है। "बिजली ख़रीद समझौते सभी हस्ताक्षरकर्ताओं पर बाध्यकारी अनुबंध हैं। यदि अनुबंधों का सम्मान नहीं किया जाता है, तो निवेश आना बंद हो जाएगा। उपर्युक्त कारणों से, सभी पी.पी.ए. को रद्द करना ग़लत और क़ानून के ख़िलाफ़ होगा", ऊर्जा मंत्री ने मुख्यमंत्री को लिखा।

दूसरी ओर, इजारेदार पूंजीपतियों को पी.पी.ए. का उल्लंघन करने की अनुमति दी गई है। जब गुजरात के समुद्र तट पर टाटा और अडाणी के आयातित कोयला आधारित संयंत्रों ने, कोयले की कीमतों में वृद्धि के कारण, बिजली की कीमत में संशोधन करने की मांग की, तो अनुबंध की शर्तों की अनदेखी करते हुए, इसकी अनुमति दी गई। हाल ही में, जब यूक्रेन में युद्ध के कारण कोयले की कीमतें बढ़ गईं, तो इन संयंत्रों ने अपने पी.पी.ए. की शर्तों को मानने से इनकार कर दिया और अपने संयंत्रों को यह कहते हुए बंद कर दिया कि उन्हें दी गई बिजली की कीमत उत्पादन की लागत को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थी।

यह स्पष्ट है कि पी.पी.ए. का असली उद्देश्य इजारेदार पूंजीपतियों के लिए गारंटीकृत मुनाफ़े सुनिश्चित करने के साथ–साथ, बिजली उत्पादन को उनके लिए "कम जोखिम वाला" व्यवसाय बनाना ही रहा है। पी.पी.ए. ने सरकारी बिजली उत्पादन और वितरण कंपनियों की आर्थिक हालत को ख़राब कर दिया है, जिससे उनके निजीकरण के लिए रास्ता तैयार किया गया है। पूंजीपतियों के मुनाफ़े, मज़दूरों और अन्य मेहनतकश लोगों से बिजली के लिए अधिक से अधिक दाम वसूल कर, सुनिश्चित किया गया है।

http://hindi.cgpi.org/22375

कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी का प्रकाशन

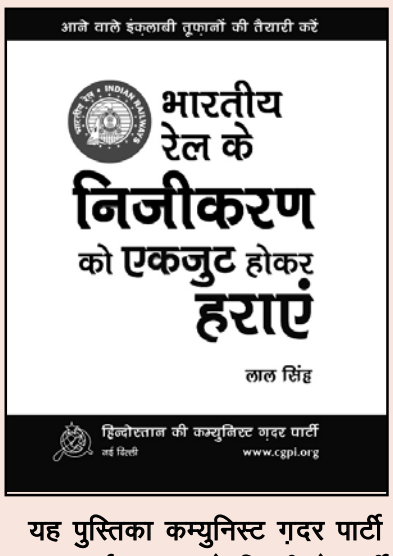

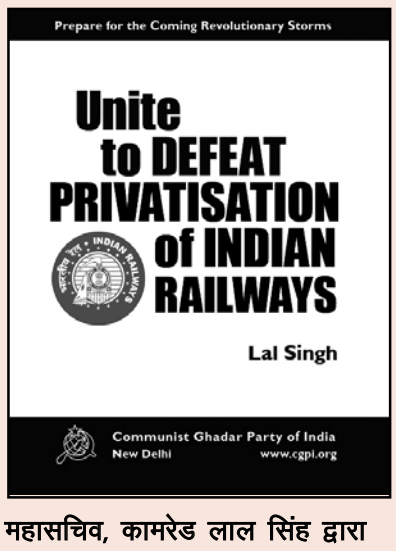

यह पुस्तिका कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी के महासचिव, कामरेड लाल सिंह द्वारा 13 मई, 2018 को दिल्ली में पार्टी की एक सभा में प्रस्तुत की गई थी।

नाटो शिखर सम्मेलन के ख़िलाफ़ बड़े पैमाने पर विरोध

28–30 जून के बीच मैड्रिड, स्पेन में आयोजित नाटो शिखर सम्मेलन के ख़िलाफ़, विरोध प्रदर्शनों में हजारों लोगों ने भाग लिया। उन पर लगे प्रतिबंध की अवहेलना करते हुए ये विरोध प्रदर्शन आयोजित किये गये। युद्ध की तैयारियों के ख़िलाफ़, लोगों के कड़े विरोध और निंदा से, नाटो नेताओं को बचाने के लिए, 10,000 से अधिक पुलिसकर्मियों को लामबंद किया गया और मैड्रिड को एक सशस्त्र शिविर में बदल दिया गया।

24–25 जून को 'नाटो नहीं! छावनियां बंद करो!' विषय पर कई काउंटर–समिट (विरोध शिखर सम्मलेन) मैड्रिड में ही आयोजित किए गए। 26 जून को, मैड्रिड की सड़कों पर जलूस के साथ विरोधी शिखर सम्मेलन का समापन हुआ, जिसमें लोगो ने, यूरोप में नाटो की छावनियों को ख़त्म करने और नाटो को भंग करने का आह्वान किया। एक शांति शिखर सम्मेलन ने घोषणा की कि नाटो को 'अवैध' करार दिया और मांग की कि इसे भंग कर दिया जाना चाहिए।

अमरीका के बाहर, दुनिया का सबसे बड़ा अमरीकी हवाई–बेस, जो जर्मनी में,

रैमस्टीन बेस के नाम से जाना जाता है, वहां पर नाटो के ख़िलाफ़, सैकड़ों प्रदर्शनकारी, 19–26 जून के बीच, एक सप्ताह के लंबे शिविर में शामिल हुए। यह रैमस्टीन बेस, नाटो सैन्य–कब्ज़े का एक मुख्य आधार है और नाटो गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण केन्द्र है। रैमस्टीन बेस के पास प्रदर्शनकारियों की गतिविधियों के एक सप्ताह का समापन, लगभग 500 लोगों द्वारा बेस के प्रवेश द्वार को अवरुद्ध करने के साथ हुआ। लोग रैमस्टीन बेस को बंद करने और जर्मनी से सभी अमरीकी बेसों को हटाने की मांग कर रहे थे।

नाटो सामरिक अवधारणा 2022 शिखर सम्मेलन के ख़िलाफ़, जंग–भड़काने और युद्ध की तैयारियों की निंदा करने और नाटो को भंग करने की मांग के समर्थन में, कनाडा के कई शहरों में, प्रदर्शन–रैलियों, विरोध–बैठकों और ऑनलाइन वर्चुअल बैठकों का आयोजन किया गया।

यूरोप और उत्तरी अमरीका में आम लोग और भी अधिक यह महसूस कर रहे हैं और इस निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं कि अमरीका के नेतृत्व वाला नाटो गठबंधन, विश्व शांति के लिए सबसे बड़ा ख़तरा है। नाटो के नेतृत्व में, सैन्य हस्तक्षेप ने, दुनिया के दर्जनों देशों को तबाह कर दिया है। नाटो दुनिया में युद्ध का मुख्य कारण है। यह गठबंधन, दुनिया के स्तर पर हथियारों को बनाने की होड़ को बढ़ावा देता है और यह सैन्य–गठबंधन, वैश्विक–सैन्य खर्च के आधे से अधिक और वैश्विक–हथियारों के व्यापार के दो–तिहाई हिस्से के लिए ज़िम्मेदार है। जब तक नाटो मौजूद है, तब तक लोगों और देशों के एक नए युद्ध में फंसने का ख़तरा बहुत ही स्वाभाविक और संभव है। दुनिया के लोगो की, इस आक्रामक सैन्य गठबंधन को खत्म करने की मांग बिल्कुल जायज़ है।

http://hindi.cgpi.org/22363

नाटो शिखर सम्मेलन के विरोध में नाटो देशों के लोगों ने विरोधी शिखर सम्मेलन आयोजित किये और बड़ी–बड़ी प्रदर्शन व रैलियां निकालीं

मैड्रिड में नाटो का शिखर सम्मेलन :

एक विस्तारवादी जंग–भड़काऊ एजेंडे की घोषणा

अमरीका के नेतृत्व वाले उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) का एक शिखर सम्मेलन 28–30 जून के बीच मैड्रिड, स्पेन में आयोजित किया गया। मैड्रिड में नाटो का शिखर सम्मेलन, स्पेन के इस अंतरराष्ट्रीय सैन्य गठबंधन में शामिल होने की 40वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया गया था जिसमें यूरोप और उत्तरी अमरीका के 30 सदस्य देश शामिल हैं। नाटो की स्थापना, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद, 4 अप्रैल 1949 को, उत्तरी अटलांटिक संधि पर हस्ताक्षर करने के साथ हुई थी। यह संगठन, अमरीकी साम्राज्यवाद के हाथ में, एक हथियार के रूप में, यूरोप पर अपना सैन्य प्रभुत्व स्थापित करने और सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप के पीपुल्स डेमोक्रेसी के देशों को आतंकित करने के लिए बनाया गया था।

मैड्रिड शिखर सम्मेलन में, स्पष्ट रूप से, अमरीकी साम्राज्यवादियों और नाटो के सदस्य देशों के इस गठबंधन की हमलावर गतिविधियों के दायरे को और व्यापक बनाने की रणनीति प्रस्तुत की गयी। नाटो के नेता, अपनी पूर्वी सीमाओं पर जंग–समूहों को मजबूत करने और बढ़ाने के लिए सहमत हुए। जंग–समूह, एक प्रकार से, जंग के लिए तैयार बटालियन है जिन्हें युद्ध के लिए किसी भी समय तैनात किया जा सकता है। इन बटालियनों में, नाटो के कई सदस्य देशों के सैनिक हैं। नाटो के शिखर सम्मेलन ने, जंग के लिए तैयार सुरक्षा–बलों की संख्या 40,000 से बढ़ाकर 3,00,000 से अधिक करने का भी निर्णय लिया। ये सैनिक, अपने–अपने देशों में तैनात होंगे। वे पूर्वी यूरोप के कुछ चुने हुए देशों में जाने के लिए तैयार रहेंगे, जिन देशों में, नाटो की योजना, जंग के हथियारों और गोला–बारूद के भंडार निर्माण करने की है। यह स्पष्ट रूप से दिखाता है कि नाटो, तेजी से यह सुनिश्चित कर रहा है कि यूक्रेन में विवाद, अनिश्चित काल तक जारी रहे और इसका समाधान न हो।

मैड्रिड शिखर सम्मेलन के दौरान, रूस और चीन का मुकाबला करने के लिए नाटो को एक हमलावर–गुट के रूप में तैयार करने पर ज़ोर दिया गया। इस दिशा में, नाटो ने, पहली बार, अपने शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के नेताओं को भी आमंत्रित किया। इसके अलावा, शिखर सम्मेलन ने नाटो के, ''न्यू स्ट्रेटजिक कॉन्सेप्ट (नई रणनीतिक धारण II)'' को भी मंजूरी दी, जो अगले दशक के लिए, उनकी रणनीति का एक खाका है। यह खाका, नाटो की सुरक्षा के लिए ''सबसे महत्वपूर्ण और प्रत्यक्ष ख़तरे'' के रूप में, रूस को हराने के लिए, एक योजनाबद्ध तरीके से नाटो को तैयार करने का आहवान करता है। यह न्यू स्ट्रेटेजिक कॉन्सेप्ट, चीन पर भी ''व्यवस्थागत चुनौतियां'' खड़ी करने का आरोप लगाता है।

सोवियत संघ के पतन के बाद नाटो का विस्तार

पूर्वी यूरोप में नाटो का विस्तार न करने के, रूस के साथ पहले किये गए समझौतों का उल्लंघन करते हुए, अमरीका एक योजनाबद्ध तरीके से नाटो का पूर्वी यूरोप के देशों में विस्तार कर रहा है। रूस की पश्चिमी सीमा पर, हजारों नाटो के सैनिक तैनात हैं, जिससे रूस की अपनी सुरक्षा के लिए, गंभीर ख़तरा पैदा हो गया है। नाटो ने यह भी स्पष्ट किया कि वह फिनलैंड और स्वीडन को गठबंधन में शामिल होने के लिए आमंत्रित करके इस विस्तार करने की योजना को जारी रखना चाहता है। यह रूस की सुरक्षा के लिए एक और भड़काऊ कदम है।

शिखर सम्मेलन ने, नाटो नवाचार कोष को भी लॉन्च किया, जो सैन्य उपयोग के लिए एक अरब यूरो (105 करोड़ अमरीकी डॉलर) का निवेश करेगा। यूक्रेन में जारी युद्ध के बाद, इन देशों के लोगों द्वारा बड़े पैमाने पर विरोध के बावजूद, नाटो सदस्य देशों द्वारा, सेना पर और अधिक खर्च करने की प्रतिबद्धता बढ़ रही है। लोग मांग कर रहे हैं कि भोजन, ईंधन और स्वास्थ्य के लिए जरूरी सार्वजनिक धन को सैन्य–खर्च के लिए न लगाया जाए। हालांकि, अमरीका और अन्य नाटो सदस्य देशों के नेताओं ने, यूरोप के लोगों की सुरक्षा बढ़ाने के बहाने, सेना पर और भी अधिक खर्च करने के लिए अपना इरादा स्पष्ट किया है। राष्ट्रपति जो बाइडन ने, यूरोप में अमरीका की सैन्य–उपस्थिति में भारी वृद्धि की घोषणा की, जिसमें पोलैंड में एक स्थायी अमरीकी बेस, रोटा, स्पेन में स्थित दो और नौसेना विध्वंसक युद्धपोत और ब्रिटेन में दो और एफ–35 स्क्वाड्रन तैनात करने की योजनायें शामिल हैं।

इस हक़ीक़त पर गौर करने की जरूरत है कि अप्रैल 2022 में, अमरीकी संसद (हाऊस ऑफ रिप्रेसेन्टेटिव्स) ने एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें राष्ट्रपति जो बाइडन को ''नाटो के सदस्य, भागीदार और इच्छुक देशों में, लोकतांत्रिक संस्थानों को मजबूत करने'' पर जोर देने के लिए कहा गया था। इस प्रस्ताव ने, अमरीका की, यूरोप पर अपना प्रभुत्व और नियंत्रण मज़बूत करने की दिशा को स्पष्ट किया। ''लोकतांत्रिक सिद्धांतों'' की बातों के बहाने, नाटो को राजनीतिक और सैन्य रूप से और अधिक हमलावर बनाया जायगा। ''सांझे लोकतांत्रिक मूल्यों'' को मजबूत करने के दावे को रूस, चीन और एशिया के अन्य देशों पर अमरीकी दादागिरी को थोपने के सभी क़दमों को सही ठहराने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसका इस्तेमाल, सदस्य देशों के आंतरिक मामलों में दखलंदाजी के लिए भी किया जाएगा।

मैड्रिड शिखर सम्मेलन का समापन करते हुए, नाटो ने एक और चेतावनी भी जारी की कि दुनिया ''बड़ी शक्तियों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा और असंख्य खतरों के एक तबाहकारी चरण'' में पहुंच गई है। लेकिन हक़ीक़त तो यह है कि इस नाटो गठबंधन के, लगातार, जंग को बढ़ावा देने वाली हमलावर कोशिशों ने ही, इन ख़तरनाक हालातों को जन्म दिया है। नाटो और उसकी गतिविधियां, दुनिया में शांति के ख़िलाफ़ ख़तरे को और भी बढ़ावा देती हैं। अमरीकी साम्राज्यवादी और उनके नाटो सहयोगी, यह चिल्ला–चिल्ला कर कह रहे हैं कि राष्ट्रों के आत्मनिर्णय के अधिकार के लिए वे कैसे वचनबद्ध हैं, और वे कैसे अन्य देशों और लोगों की संप्रभुता का सम्मान करते हैं। यह एक साफ़ सफेद झूठ है। अमरीका और उसके नाटो सहयोगियों ने, लगातार उन देशों और लोगों की संप्रभुता को बेरहमी से कुचला है जो अपने पसंद के आर्थिक और राजनीतिक रास्ते पर आगे बढ़ना चाहते हैं।

http://hindi.cgpi.org/22368

फ्रांस में रेल कर्मचारी अधिक वेतन की मांग को लेकर हड़ताल पर

6 जुलाई को, एस.एन.सी.एफ. (फ्रांस की राज्य के स्वामित्व वाली रेल कंपनी) के चार मज़दूर यूनियन – सी.जी.टी., यू.एन.एस.ए., एस.यू.डी.–रेल और सी.एफ.डी.टी. – हड़ताल पर चले गए। हड़ताल ने पूरे देश में रेल सेवाओं को ठप्प कर दिया।

एस.एन.सी.एफ. के अनुसार, हड़ताल के कारण चार हाई–स्पीड ट्रेनों में से एक को रद्द करना पड़ा, जबकि पेरिस और अन्य क्षेत्रों में उपनगरीय ट्रेनों जैसी क्षेत्रीय सेवाएं को बाधित हुईं।

रेलवे कर्मचारी वेतन में आम तौर पर और तात्कालिक वृद्धि की मांग कर रहे हैं। वे जीवन यापन की बढ़ते खर्च का सामना करने में असमर्थ हैं। इस महीने फ्रांस में मुद्रास्फीति की दर 5.9 प्रतिशत तक पहुंचने का अंदेशा है।

मज़दूरों ने बताया है कि एस.एन.सी.एफ. में, 2014 के बाद से आम तौर पर कोई वेतन वृद्धि नहीं हुई है। प्रवेश स्तर के वेतन बहुत कम हैं, यहां तक कि न्यूनतम मज़दूरी से 7 प्रतिशत तक कम है। जबकि रेलवे में बहुत ज्यादा तनाव वाला काम होता है, 3 शिफ़्ट का काम, रात का काम, शनिवार–रविवार का काम, आदि होता है, जिसके लिए बहुत कम वेतन दिया जाता है। एक शुरुआती स्विचमैन का उदाहरण देते हुए, एक यूनियन प्रवक्ता ने समझाया, "जब वह भर्ती होता है, तो उसके पास चार महीने का प्रशिक्षण होता है और बहुत महत्वपूर्ण कानूनी और परिचालन जिम्मेदारियां होती हैं, क्योंकि थोड़ी सी गलती से जान जा सकती है। और उसका वेतन 1,350 यूरो से शुरू होता है, जो गारंटीकृत न्यूनतम वेतन से सिर्फ 50 यूरो अधिक है!"

फ्रांस में राज्य के स्वामित्व वाली रेल कंपनी के यूनियनों के मज़दूरों की हड़ताल

फ्रांस की रेलवे यूनियनों ने पिछले कुछ महीनों में कई बार प्रबंधन के समक्ष वेतन वृद्धि का मुद्दा उठाया है। 16 जून को, रेलवे मज़दूर यूनियनें – सी.जी.टी., यू.एन.एस.ए., एस.यू.डी.–रेल और सी.एफ.डी.टी. – ने संयुक्त रूप से वेतन वार्ता के लिए प्रबंधन से संपर्क किया। लेकिन प्रबंधन ने यूनियनों से द्विपक्षीय बैठकों में ही मुलाकात की और वेतन वृद्धि की मांग को लेकर 6 जुलाई को मज़दूरों के प्रतिनिधियों के साथ एक गोलमेज बैठक का वादा किया। मज़दूरों की मांगों के पक्ष में समाधान निकालने के लिए प्रबंधन पर अधिक से अधिक दबाव बनाने के लिए हड़ताल का आह्वान किया गया है।

रेल मज़दूरों ने घोषणा की है कि वे साल के अंत में वार्षिक वेतन वृद्धि का इंतजार नहीं कर सकते। 6 जुलाई की हड़ताल उनकी मांगों के समर्थन में संघर्ष जारी रखने के उनके दृढ़ संकल्प की एक शक्तिशाली अभिव्यक्ति है।

http://hindi.cgpi.org/22357

मज़दूर एकता लहर

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी की केन्द्रीय कमेटी का अख़बार

RNI No.- 45893/86 Postal Regd. No. DL(S)-01/3177/2021-23

Posting Date at DLPSO, 16 & 17 July, 2022 Date of publish - 16 July, 2022

To .....
.....
.....
.....
.....
.....

स्वामी लोक आवाज़ पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रिब्यूटर्स के लिये प्रकाशक एवं मुद्रक मधुसूदन कस्तूरी की तरफ से, ई–392 संजय कालोनी ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेस–2, नई दिल्ली 110020, से प्रकाशित। शुभम इंटरप्राइजेज, 260 प्रकाश मोहल्ला, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली 110065 से मुद्रित। संपादक–मधुसूदन कस्तूरी, ई–392, संजय कालोनी ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेस–2, नई दिल्ली 110020

email : melpaper@yahoo.com, mazdoorektalehar@gmail.com, Mob. 9810167911

अवितरित होने पर इस पते पर वापस भेजें :
ई–392, संजय कालोनी ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेस–2, नई दिल्ली 110020

WhatsApp 9868811998

इंडिगो एयरलाइंस के कर्मचारियों का अपनी मांगों के लिए संघर्ष

इंडिगो एयरलाइंस के कर्मचारियों के सभी तबकों – फ्लाइट क्रू, तकनीशियन और अन्य ग्राउंड स्टाफ़ – ने अपने अधिकारों का दावा करने के लिए संघर्ष का रास्ता अपनाया है।

8–9 जुलाई को हैदराबाद और दिल्ली एयरपोर्ट पर तैनात इंडिगो के तकनीशियन ड्यूटी पर नहीं आए। उन्होंने बीमार होने की सूचना दी।

इंडिगो के तकनीशियन और विमान रख रखाव इंजीनियर वेतन में वृद्धि के साथ–साथ बेहतर काम करने की स्थिति की मांग कर रहे हैं। वर्तमान में, उन्हें लंबे समय तक काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। इंडिगो प्रबंधन ने उनकी मांगों को अनसुना कर दिया है। इसलिए, इंजीनियरों और तकनीशियनों को संघर्ष का रास्ता अपनाने पर मजबूर होना पड़ा है।

हवाईअड्डे पर इंडिगो कर्मचारी अपने अधिकारों की रक्षा में हड़ताल पर (फाइल फोटो)

इससे पहले, 2 जुलाई को पूरे देश में इंडिगो के केबिन क्रू ने बीमारी का बहाना देकर सामूहिक अवकाश लिया था। सैकड़ों उड़ानें देर से चलीं, कई उड़ानों को रद्द करना पड़ा। पायलटों सहित केबिन क्रू, कोविड महामारी के कारण हवाई यात्रा में संकट के नाम पर, प्रबंधन द्वारा उनके वेतन में बार–बार कटौती को लेकर, आंदोलनरत हैं। उन्होंने बताया है कि महामारी ख़त्म होने के बावजूद, वेतन में कटौती बनी हुई है, हालांकि अब हवाई यातायात महामारी के पूर्व के समय के बराबर हो गया है। जाना जाता है कि 2 जुलाई के आंदोलन के बाद, इंडिगो प्रबंधन पायलटों और अन्य केबिन क्रू के वेतन में बढ़ोतरी पर सहमत हो गया है।

भारत और पूरी दुनिया में, एयरलाइनों के मालिकों ने महामारी के कारण उत्पन्न संकट का बोझ एयरलाइनों के कर्मचारियों पर लाद दिया है। कई एयरलाइन कर्मचारियों की नौकरियां चली गयीं हैं । बचे हुए कर्मचारियों को भारी वेतन कटौती और कार्यभार में भारी वृद्धि का सामना करना पड़ा है। दुनिया भर में, विमान कर्मचारी इन हमलों का विरोध करते हुए संघर्ष कर रहे हैं।

इंडिगो के कर्मचारियों का संघर्ष पूरी तरह से जायज़ है।

http://hindi.cgpi.org/22399

कोल इंडिया के मज़दूर संघर्ष की तैयारी कर रहे हैं

ईस्टर्न कोल फील्ड्स के मज़दूर अपनी मांगों को लेकर संघर्ष की तैयारी में

हिन्दोस्तान की सरकार ने प्रस्ताव किया है कि 160 भूमिगत ख़दानों को राष्ट्रीय मुद्रीकरण नीति के तहत, निजी कंपनियों को सौंप दिया जायेगा।

इसके साथ ही, सरकार ने ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ई.सी.एल.), भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बी.सी.सी.एल.) और सी.एम.पी.डी.आई. के 25 प्रतिशत शेयर बेचने के अपने फैसले की घोषणा की है। इसके अलावा, सरकार ने सी.एम.पी. डी.आई. को एम.ई.सी.एल. के साथ विलय करने के अपने इरादे की घोषणा की है।

कोल इंडिया लिमिटेड (सी.आई.एल.) के मजदूर इस प्रस्ताव पर बहुत क्रोधित हैं और इसका विरोध करने पर डटे हुए हैं ।

http://hindi.cgpi.org/22397

लुधियाना में सफाई कर्मचारियों ने नियमित किये जाने की मांग की

सफाई कर्मचारी संघर्ष समिति की महिला कर्मियां भूख हड़ताल पर

सफाई कर्मचारी संघर्ष समिति के बैनर तले संगठित मजदूरों ने 5 जुलाई से अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू कर दिया है। वे लुधियाना नगर निगम के सभी संविदा सीवरमैन, सफाई कर्मचारियों और अन्य कर्मचारियों की नौकरियों को नियमित करने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने घोषणा की है कि जब तक नगर निगम उनकी मांगों पर सहमत नहीं हो जाता तब तक वे अपना आंदोलन जारी रखेंगे। मज़दूरों ने अपनी मांगों को लेकर नगर निगम कार्यालय के बाहर भूख हड़ताल शुरू कर दी है।

http://hindi.cgpi.org/22392

मज़दूर एकता लहर (इंटरनेट संस्करण)

हिन्दी : http://www.hindi.cgpi.org,
अंग्रेजी : http://www.cgpi.org
पंजाबी : http://www.punjabi.cgpi.org
तामिल : http://www.tamil.cgpi.org
ई मेल : melpaper@yahoo.com, mazdoorektalehar@gmail.com
Ph.09868811998, 09810167911

मज़दूर एकता लहर के लेखों को सुनिये

चुनिंदा लेखों को सुनने के लिये हिन्दी वेबसाइट (www.hindi.cgpi.org) पर जायें और ड्रॉपडाऊन मेनू या साइडबार में "लेखों को सुनें" पर क्लिक करें।

मज़दूर एकता लहर का वार्षिक शुल्क और अन्य प्रकाशनों का भुगतान आप बैंक खाते और पेटीएम में भेज सकते हैं

आप वार्षिक ग्राहकी शुल्क (150 रुपये) सीधे हमारे बैंक खाते में या पेटीएम क्यूआर कोड स्केन करके भेजें और भेजने की सूचना नीचे दिये फोन या वाट्सएप पर अवश्य दें।

खाता नाम–लोक आवाज़ पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रिब्यूटर्स
बैंक ऑफ महाराष्ट्र, न्यू दिल्ली, कालका जी
खाता संख्या–20066800626, **ब्रांच नं.**–00974
IFSCode: MAHB0000974, मो.–9810167911
वाट्सएप और पेटीएम नं.-9868811998
email: mazdoorektalehar@gmail.com